न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/175

1. रामकुंवार आत्मज श्री कंवर लाल जाति बैरवा निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. जन्सी आयु 50 वर्ष आत्मज श्री कंवर लाल जाति बैरवा निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. प्रेमशंकर आत्मज श्री भंवर लाल जाति ब्राह्मण निवासी बलवन तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
3. पार्वती बाई पुत्री स्व0 कंवर लाल जाति बैरवा निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
4. राजबाई पुत्री कंवर लाल जाति बैरवा निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

उपस्थित :– 1. श्री हनुमान दत्त गौतम, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री सुरेश कुमार वर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 06.09.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.12.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बलवन तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में खसरा नम्बर 585 की रकबा 1.53 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी के गैर खातेदारी में दर्ज है । वादी की कृषि भूमि के पास ही प्रतिवादी कम 01 की भूमि स्थित है । प्रतिवादी कम 01 वादग्रस्त आराजी से वादी को बेदखल करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं । सन् 2016 में प्रतिवादी के द्वारा वादी के बाहर रहने का फायदा उठाकर जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर लिया । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी कम 01 बेदखल कर कब्जा वापस प्राप्त करे और प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादी कम 01 के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी कम 01 को बेदखल कर कब्जा वापस वादी को दिलाया जावे तथा प्रतिवादी कम 01 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी की गैर खातेदारी की आराजी में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादी कम 01 करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 14.12.2017 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया और वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी कम 01 बेदखल कर कब्जा वापस वादी को दिये जाने के आदेश पारित किये ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.12.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट के पिता प्रतिवादी कम 01 की मृत्यु दिनांक 06.06.2017 को हो चुकी है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक व्यक्ति अपीलान्ट के पिता के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर वाद डिक्री किया है । अपीलान्ट के पिता मृतक कंवर लाल का सम्मन की तामील नहीं हुई है और दिनांक 23.09.2016 को एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.12.2017 निरस्त फमराया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के पिता प्रतिवादी कम 01 कंवरलाल की प्रोपर तामील नहीं करवायी है । दिनांक 06.06.2017 को अपीलान्ट के पिता की मृत्यु हो चुकी है । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के पिता के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है । अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 02.11.2020 को उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पालना में वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने पर आमादा होने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपीलान्ट दर्ज सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी ने यह कथन करते हुए दावा पेश किया कि उनकी गैर खातेदारी में खसरा नम्बर 585 रकबा 1.53 हैक्टर आराजी स्थित है । वादी की आराजी के पास प्रतिवादी संख्या 01 की कृषि भूमि है । प्रतिवादी वादी को बदेखल करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है । परीक्षण न्यायालय में इन तथ्यों के आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा व बेदखली का दावा पेश किया गया । प्रतिवादी के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई और दावा एकपक्षीय रूप से डिक्री किया गया । दौराने दावा अपीलान्ट के पिता प्रतिवादी संख्या 01 की मृत्यु हो चकी थी । मृतक व्यक्ति के खिलाफ निर्णय पारित किया गया है । मृतक प्रतिवादी अपीलान्ट के पिता कंवर लाल को सम्मन की तामील नहीं हुई है । वादग्रस्त आराजी पर 70

वर्षों से अपीलान्ट के पिता का कब्जा रहा है उनकी मृत्यु के बाद अपीलान्ट का कब्जा है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.12.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि सम्मन की तामील रमेश को की गई थी जो कि कंवर लाल का पोता है । जानबूझकर अपीलान्ट परीक्षण न्यायालय में नहीं आये । यदि प्रतिवादी के द्वारा जवाबदावा पेश नहीं किया जाता है और उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही हो जाती है तो सीपीसी के आदेश 22 नियम 04 के अनुसार कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक नहीं होता है । वादग्रस्त आराजी के खातेदार वादी हैं । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.12.2017 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 2010 (एससी) पेज 295 उद्धरत की।

10. विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने रिबटल में कथन किया कि तामील में यह अंकित नहीं किया गया है कि रमेश कंवर लाल का पोता है व्यस्क है उनके साथ रहता है । तामील विधिक प्रावधानों के अनुसार नहीं है ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा धारा 183 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा कंवरलाल के खिलाफ पेश किया गया है । कंवरलाल के खिलाफ दिनांक 23.09.2016 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है । पत्रावली पर संलग्न कंवरलाल के सम्मन का अवलोकन किया गया । सम्मन पर रमेश के हस्ताक्षर हैं और तामील रिपोर्ट में कहीं यह भी अंकित नहीं है कि रमेश का कंवर लाल से क्या सम्बन्ध है । सीपीसी के प्रावधानों के अनुसर पक्षकार के नहीं मिलने पर उनके परिवार के वयस्क सदस्य को तामील की जा सकती है परन्तु तामील कुनिन्दा के द्वारा कहीं भी यह अंकित नहीं किया गया है कि रमेश कंवरलाल के परिवार का सदस्य है व उनके साथ रहता है व उसका कंवरलाल से क्या सम्बन्ध है । इस प्रकार तामील सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार नहीं की गई है । हम इस प्रकरण में अपीलान्ट जो कि कंवरलाल के विधिक वारिस हैं उनको न्यायहित में सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक समझते हैं ।

12. अपीलान्ट के द्वारा धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि अपीलान्ट के पिता की मृत्यु दिनांक 06.06.2017 को हो चुकी है अपीलान्ट के पिता की विधि सम्मत रूप से तामील नहीं करवायी गई थी । अपीलान्टगण को इस निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 02.11.2020 को हुई और जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का शमन किया जावे । अपीलान्टगण के पिता की परीक्षण न्यायालय के द्वारा विधि के प्रावधानों के अनुसार तामील नहीं करायी गई है और निर्णय पारित होने से पूर्व अपीलान्टगण के पिता की मृत्यु हो चुकी है । ऐसी स्थिति में हम न्यायहित में धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाना उचित समझते हैं । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा उद्धरत नजीर इस प्रकरण में चस्पा नहीं होती है ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.12.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्टगण को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकियात कायम कर तनकियात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 29.10.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 06.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

6/9/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा